हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली केस कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। जवाब पेश नहीं बादहू बहस वकील सुनी गई। पत्रावली अवलोकन किया गया। बहस वकील पर मनन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है डिक्री किया जाना है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। तह० से कुलीयत रिपोर्ट तलब हो कर पत्रावली दिनांक 25/6/18 को पेश हो। 25/6/18 पत्रावली केस कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। कुलीयत रिपोर्ट अप्राप्त है। कुलीयत रिपोर्ट तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.6.18 को पेश हो। 29.6.18 पत्रावली केस कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। कुलीयत रिपोर्ट तह० से प्राप्त हो गई है। बहस कुलीयत सुनी गई। कुलीयत रिपोर्ट पर वादी ने एतराज किया है। एतराज खारिज किया जाकर मुताबिक कुलीयत रिपोर्ट संशोधित डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सं०नि० किया गया। पत्रावली बाद तकमील जमा होकर रिकॉर्ड में रखी जाए।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/50/17

बउनवान

1. छीपा पत्नी बदलेराम जाति जाटव निवासी हुल्याना तहसील कठूमर

--- वादी

बनाम

1. शिवराम पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना तहसील कठूमर
2. सुगरसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना तहसील कठूमर
3. सामन्ती पत्नी प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना तहसील कठूमर
4. तेजा पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी हुल्याना तहसील कठूमर
5. हरवती पत्नी पतराम जाति जाटव निवासी सामोली तहसील कठूमर
6. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

---- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री कृपादयाल :- अधिवक्ता वादी

श्री धर्मसिंह मीना :- अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 1.09 हे0, 351 रकबा 0.72 हे0, 358 रकबा 0.761 हे0, 359 रकबा 0.48 हे0 व खसरा नम्बर 257 रकबा 0.68 हे0 वाके ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी में वादीया का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी

Scanned by CamScanner

तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 4,6,7 उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम हुल्याना की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकुलान उपस्थित हुये। जवाब पेश नहीं करना चाहते। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण वावत आराजी आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 1.09 हे0, 351 रकबा 0.72 हे0, 358 रकबा 0.761 हे0, 359 रकबा 0.48 हे0 व

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 257 रकबा 0.68 हे0 वाके ग्राम हुल्याना का हिस्सेनुसार प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक रिकोर्ड(हिस्सा जमाबन्दी) एवं कब्जाकास्त विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी नियमानुसार तकासमा (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिकी किया जा सके।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/50/17

बउनवान

1. छीपा पत्नी बदलेराम जाति जाटव निवासी ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर

--- वादिया

बनाम

1. शिवराम पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
2. सुगरसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
3. सामन्ती पत्नी प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
4. तेजा पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी हुल्याना
5. हरवती पत्नी पतराम जाति जाटव निवासी सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर
6. उप पंजीयक कठूमर
7. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री कृपादयाल – अधिवक्ता वादिया

श्री धर्मसिंह मीना – अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 328, 351, 358, 359, 257 ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी

धिकारी
अलवर)

Scanned by CamScanner

तकासमा नहीं हुआ है। वादिया विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।.

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व उभय पक्षकारान की वहस सुनी जाकर वाद वादिया दिनांक 21.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट पर वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादिया का कथन है कि खसरा नम्बर 328 में वादिया का कब्जा काश्त पूर्व की तरफ है तथा पूर्व दिशा में वादिया का खेत लगता है। खसरा नम्बर 328 के उत्तर दिशा में जो हिस्सा दिया गया है वो हिस्सा तरफ पूर्व को दिया जावे। अन्य खसरा नम्बर के विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण किया कि वादिया के खेत के पास तरफ पूर्व दिशा में हिस्सा दिये जाने की सहमति दी है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाकर वाद वादिया उभय पक्षकारान की सहमति व कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर के आधार पर अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादिया तकसीम अंतिम रूप से डिकी किया जाकर खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ मध्य रकवा 0.55 हे. 351 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.36 हे. 358 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.30 हे. 359 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.24 हे. किता 4 रकवा 1.45 हे. प्रतिवादी संख्या 4 तेजा को खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.41 हे. 351 मिन मध्य रकवा 0.27 हे. 358 मिन मध्य रकवा 0.23 हे. 359 मिन मध्य रकवा 0.18 हे. किता 4 रकवा 1.09 हे. प्रतिवादी सं0 1-2-3 शिवराम , सुगरसिंह व सामंती को खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.13 हे. 351 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.09 हे. 358 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.08 हे. 359 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.06 हे. किता 4 रकवा 0.36 हे. वादिया छीपा को खसरा नम्बर 257 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.25 हे. प्रतिवादनी सं0 5 हरवती को 257 मिन मध्य उत्तर रकवा 0.08 हे. वादिया छीपा को 257 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.25 हे. प्रतिवादी सं0 4 तेजा को खसरा नम्बर

...धिकारी
...लवर)

Scanned by CamScanner

[illegible] क्षेत्र रकबा 0.08 हे. मध्य दक्षिण प्रतिवादनी सामन्ती को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में नवीन अंकन करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 29.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/50/17

बउनवान

1 छीपा पत्नी बदलेराम जाति जाटव निवासी ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर

--- डिकीदार

बनाम

1. शिवराम पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
2. सुगरसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
3. सामन्ती पत्नी प्रभाती जाति जाटव निवासी हुल्याना
4. तेजा पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी हुल्याना
5. हरवती पत्नी पतराम जाति जाटव निवासी सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर
6. उप पंजीयक कठूमर
7. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादिया तकसीम अंतिम रूप से डिकी किया जाकर खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ मध्य रकवा 0.55 हे. 351 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.36 हे. 358 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.30 हे. 359 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.24 हे. किता 4 रकवा 1.45 हे. प्रतिवादी संख्या 4 तेजा को खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ पश्चिम रकवा 0.41 हे. 351 मिन मध्य रकवा 0.27 हे. 358 मिन मध्य रकवा 0.23 हे. 359 मिन मध्य रकवा 0.18 हे. किता 4 रकवा 1.09 हे. प्रतिवादी सं0 1-2-3 शिवराम , सुगरसिंह व सामंती को खसरा नम्बर 328 मिन तर्फ पूर्व रकवा 0.13 हे.

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

351 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.09 हे. 358 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.08 हे. 359 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.06 हे. किता 4 रकवा 0.36 हे. वादिया छीपा को खसरा नम्वर 257 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.25 हे. प्रतिवादनी सं0 5 हरवती को 257 मिन मध्य उत्तर रकवा 0.08 हे. वादिया छीपा को 257 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.25 हे. प्रतिवादी सं0 4 तेजा को खसरा नम्बर 257 मिन रकवा 0.08 हे. मध्य दक्षिण प्रतिवादनी सामन्ती को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में नवीन अंकन करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 29.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner